आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021–22/ 416 दिनांक– 28/06/2022

स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन की आक्षेपपूर्ति एवं अग्रेषित बाबत

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021–22 (12वीं उत्तीर्ण) उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST वर्ग), अल्पसंख्यक मामलात् विभाग (Minority वर्ग) एवं 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (ST वर्ग) तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2021–22 के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विद्यार्थियों से आक्षेप पूर्ति, महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड हेतु एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फारवर्ड हेतु छात्रवृति पोर्टल की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र. सं	योजना का नाम	विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु	महाविद्यालयों द्वारा जिला नोडल को फॉरवर्ड हेतु	जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फारवर्ड हेतु
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021–22 (12वीं उत्तीर्ण) उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST वर्ग), अल्पसंख्यक मामलात् विभाग (Minority वर्ग) की छात्राओं हेतु	11.07.2022 तक	21.07.2022 तक	01.08.2022 तक
2	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021–22 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (ST वर्ग)	11.07.2022 तक	–	जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा TAD को फारवर्ड हेतु 01.08.2022 तक
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2021–22	11.07.2022 तक	21.07.2022 तक	01.08.2022 तक

विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आक्षेप पूर्ति का यह अंतिम अवसर है, इसके उपरान्त उनके स्तर पर शेष रहे आवेदन निरस्त समझे जावेंगे।

संबंधित महाविद्यालय/जिला नोडल महाविद्यालय अपने स्तर से विद्यार्थियों से दूरमाष पर सम्पर्क कर आक्षेप दूर करवाकर उन्हें ऑनलाइन फारवर्ड करवाने की कार्यवाही करें। यदि किसी भी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र विद्यार्थी किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

वित्तीय सलाहकार

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx